

11
12/21/2020

कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल (म0प्र0)

क0 18 अ-82/19-20 /जामझिरी/1634 बैतूल दिनांक 10.2.2020
प्रति,

संचालक,
जनसम्पर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,
भोपाल।

विषय:- ग्राम जामझिरी तहसील भैसदेही के भू-अर्जन प्रकरण
में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का प्रकाशन कराने
बाबत।

-0-

म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के अन्तर्गत मौजा जामझिरी तहसील भैसदेही के भूमिस्वामियों की भूमि पूर्ण जलाशय के पहुच मार्ग हेतु पूरक अर्जन किए जाने हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट समिति द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसकी छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त सामाजिक समाघात रिपोर्ट का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराया जाकर प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(तेजस्वी एस. नायक)
कलेक्टर एवं

भू-अर्जन अधिकारी बैतूल

पृ0क0-18 अ-82/2019-20/जामझिरी/1634 बैतूल दिनांक 10.2.2020
प्रतिलिपि:-

- 1- अनुविभागीय अधिकारी, (रा) भैसदेही को अग्रेषित, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करे।
- 2- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक-2, बैतूल
- 3- प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बैतूल, समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु !
- 5- तहसीलदार भैसदेही को प्रश्नांकित स्थल/ग्राम पंचायत एवं कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

कलेक्टर एवं
भू-अर्जन अधिकारी बैतूल

प्र.सं. 18 अ-82/19-20

जाम-जामझिरी

प्ररूप "ख"

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

- 1- परियोजना का नाम :- पूर्णा जलाशय
- 2- लोक प्रयोजन :- पहुंच मार्ग हेतु
- 3- स्थल :- जामझिरी
- 4- परियोजना का क्षेत्र :- 530 हे० सिंचित
- 5- विकल्प जिन पर विचार किया गया :- अर्जन की जाने वाली भूमि पहुंच मार्ग के लिए उपयुक्त है।
- 6- परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित :- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क०-2 बैतूल
- 7- परियोजना निर्माण के चरण :- प्रथम एवं अंतिम
- 8- परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे :- प्रकरण में नक्शा संलग्न है।
- 9- परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि :- जला के पहुंच मार्ग हेतु 1.010
- 10- भूमि का मूल्य ग्राम जामझिरी की सिंचित भूमि रू० 4,89,600/- एवं असिंचित भूमि 2,44,800/- रू० प्रति हे०
- 11- प्रभावित परिवारों की संख्या :- ग्राम जामझिरी के 8 कृषक
- 12- परिसम्पतियां:- लोक सम्पति भूमि भवन निरंक अन्य निजी सम्पति भूमि 0.578 भवन निरंक अन्य
- 13- विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई :-ग्राम जामझिरी परिवारों की संख्या निरंक
- 14- सामाजिक समाघात
(क) समाघातों का विवरण :- निष्कर्ष में उल्लेखित है ;
(ख) समाघातों की संकेतक सूची निरंक
- 15- विकल्प जिन पर विचार किया गया
(क) यदि हां -- तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ? लोक प्रयोजन हेतु
(ख) यदि नहीं -- तो क्यों ? निरंक

निष्कर्ष :-

- (1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
- (2) प्रभावित भूमि के अर्जन के कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
- (3) प्रभावित भूमि के अर्जन से जो परिसम्पतियां प्रभावित हो रही हैं जिस बाबत वर्तमान प्रचलित विधि/निर्देशों के तहत मुआवजा दिया जा रहा है।
- (4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है।
- (5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए हैं।
- (6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक हैं। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।

(सदस्य)

श्री संजय श्रीखंडे

(सदस्य)

उपवन मंडलाधिकारी, भैसदेही

(सदस्य)

अविजल संसाधन
भैसदेही

(अध्यक्ष)

नितिन टाले,
डिप्टी कलेक्टर वैतूल

दिनांक 17/01/20